न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बांदीकुई जिला दौसा

पीठासीन अधिकारी श्री चिम्मनलाल मीना आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी बांदीकुई

उनवान रामजीवन बनाम हरभजन वगै0

वाद संख्या–151 / 2012

दिनांक निर्णय–12.09.2018

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र के संक्षेप में तथ्य निम्न प्रकार है:–

यह है कि ग्राम खेडा तह0 बसवा जिला दौसा की खतौनी संख्या नई 190 पुरानी 180 का ख0 नं0 522 से 526, 529 से 536 कुल किता 13 रकबा 1.32 है0 एवं खतौनी संख्या नई 156 पुरानी 131 के ख0 नं0 102 से 104, 107 से 110, 175, 798 से 801 कुल किता 12 रकबा 3.76 है0 वाके ग्राम खेडा तह0 बसवा जिसके गत ख0 नं0 891/1 रकबा 3.14 बीघा, 893 रकबा 1.10 बीघा, 977 रकबा 2.4 बीघा, 979 रकबा 2.0 बीघा, 980 रकबा 3.3 बीघा, 1168 रकबा 3.15 बीघा, 891/1383 रकबा 0.2 बीघा, 1167 रकबा 3.15 बीघा थी। उक्त विवादित आराजी जो तेज्या पुत्र परसा व रामसहाय पुत्र भौरया के कब्जे काश्त व खातेदारी के रहे है। रामसहाय ला औलाद फौत हो गया था। रामसहाय शुरू से तेज्या के पास रहता था व समस्त भूमि को तेज्या काश्त करता था। रामसहाय के फौत होने पर प्रतिवादी नं0 1 व 2 के पिता मूल्या ने नामा0 अपने नाम खुलवा लिया। जबकि रामसहाय ने मूल्या को कभी गोद नही लिया।

यह कि विवादित आराजी के जर्ये नामा0 सं0 106 के मूल्या द्वारा खुलवाये गये गलत तौर से नामा0 को निरस्त कर दुरूस्ती करने की प्रार्थना की। वादीगण द्वारा हिस्से अनुसार भूमि पर काबिज काश्त करते चले आ रहे है। इस प्रकार वादीगण द्वारा वाद पत्र प्रस्तुत कर दावा इश्तकाराहक के इन्द्राज दुरूस्ती व स्थायी निषेधाज्ञा की जर्ये वाद पत्र प्रार्थना की।

यह कि वाद पत्र प्रस्तुत होने पर प्रतिवादीगण को तलब कर जवाब दावा किया गया। प्रतिवादी नं0 1 व 2 ने जवाब दावा प्रस्तुत कर वाद पत्र के तथ्यो को अस्वीकार करते हुए दावा वादीगण खारिज करने की प्रार्थना की। प्रतिवादीगण नं0 3, 5, 6, 7 ने दिनांक 14–11–2017 को बावजूद सूचना के उपस्थिति नही हुए। अतः उनके विरूद एक तरफा कार्यवाही की गई।

वाद पत्र में उभय पक्षों के साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु समुचित अवसर दिये गये। जिसमे वादीगण के गवाह व साक्ष्य [illegible] पत्रावली के शामिल मिशल किया गया। प्रतिवादीगण 1 व 2 ने समुचित अवसर दिये जाने के बावजूद भी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया। प्रतिवादीगण के वकील द्वारा दिनांक 30.08.2018 पैरवी की हिदायत नही। जिसके बाद

Signature Not Verified
Digitally signed by Pinki Meena
Date: 2021.02.18 14:01:53 IST
Reason: SelfAttested

12/9/18
उप खण्ड अधिकारी
बांदीकुई (दौसा)

Scanned by CamScanner

न्यायालय द्वारा प्रतिवादीगण को न्यायालय मे उपस्थित होने हेतु सूचित किया गया लेकिन कोई उपस्थित नही हुआ। तत्पश्चात प्रस्तुत शपथ पत्रों व जिरह गवाहान के अवलोकन के पश्चात पत्रावली बहस हेतु नियत की गई।

उभय पक्ष की बहस सुनी गयी। वकील वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र की ताईद करते हुए साक्ष्य सबूत व राजस्व रिकार्ड पर बहस करते हुए दावा वादीगण डिक्री करने की इश्तदुआ की। उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक गणो की बहस सुनने के पश्चात पत्रावली का भली भांति अवलोकन किया गया व मनन किया गया। जिसमें वादी ex -4, ex-5, ex-2, ex-3 का अवलोकन किया गया। जिसमे उक्त सम्पत्ति पैतृक व पुस्तैनी है। जो रिकार्ड से प्रमाणित है प्रतिवादीगण अपने दावे के प्रमाण मे रजिस्टर्ड गोदनामा आदि प्रस्तुत नही किया गया तथा अन्य कोई सबूत भी पेश नही किया गया। अतः दावा वादीगण गुणावगुण के आधार पर स्वीकार किया जाता है तथा दावा वादीगण रामजीवण पुत्र हरसहाय 1/3 व हजारी पुत्र लोहडया 1/9, कैलाश पुत्र लोहडया 1/9, रामकिशन पुत्र लोहडया हिस्सा 1/9 को गुणावगुण के आधार पर खातेदार घोषित किया जाता है।

विवादित आराजी ग्राम खेडा खतौनी सं0 नई 190 पुरानी 180 के खसरा नम्बरान 522/0.05, 523/0.07, 524/0.07, 525/0.08 ,526/0.11, 529/0.18 ,530/0.12, 531/0.24, 532/0.12, 533/0.06 ,534/0.06 ,535/0.06, 536/0.10 कुल किता 13 रकबा 1.32 है0 व ग्राम खेडी खतौनी संख्या नई 156 पुरानी 131 के खसरा नम्बरान 102/0.27, 103/0.29, 104/0.45, 107/0.02, 108/0.02, 109/0.01, 110/0.45, 175/0.35, 798/0.48, 799/0.47, 800/0.48, 801/0.47 कुल किता 12 रकबा 3.76 है0 का वादीगण रामजीवण पुत्र हरसहाय हिस्सा 1/3 व हजारी पुत्र लोहडया हिस्सा 1/9, कैलाश पुत्र लोहडया हिस्सा 1/9, रामकिशन पुत्र लोहडया हिस्सा 1/9 का खोतदार घोषित किया जाता है। अर्थात पैतृक सम्पत्ति मे बराबर का हकदार घोषित किया जाता है। प्रतिवादी संख्या 1, 2 को स्थायी निषेधाज्ञा से पांबद किया जाता है कि कब्जे काश्त मे किसी प्रकार की दखल न करे। पर्चा डिक्री जारी हो। तहसीलदार तदानुसार निर्णय की पालना करे। प्रतिवादी 3 खातेदारी घोषणा का वाद लाने हेतु स्वतन्त्र [illegible] पर प्रतिवादी नं0 1 व 2 द्वारा बैक से जो ऋण लिया गया है व[illegible] अंकित रहेगा। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली नम्बर[illegible] दाखिल हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pinki Meena
Date: 2021.02.18 14:01:53 IST
Reason: SelfAttested

12/9/17

(चिमनलाल मीना)
उपखण्ड अधिकारी
बांदीकुई

उपखण्ड अधिकारी
बांदीकुई (दौसा)

Scanned by CamScanner